तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल	मैं जारी हुआ
	राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प स्थान घाटोली दिनांक 12/5/16	

12/5/16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी० उप० है।

पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रकरण का धारा 212(2) की शर्तों पर परीक्षण किया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण दृष्टि गोचर नहीं होता है क्योंकि विवादित भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज नहीं है।

प्रकरण वर्णित भूमि पर प्रार्थी की क्या अप्रार्थी नं. 1 की क्या हक अख्त्यार है? क्या होने चाहिये। वादग्रस्त भूमि के प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम इच्छा पत्र / वसीयतों का प्रकरण पर क्या प्रभाव है? इसका विनिश्चय मूलवाद में सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा समुचित विचारणोपरान्त बाद परीक्षण मैरिट पर होना है, न कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र या जवाब अप्रार्थी के आधार पर।

सुविधा का संतुलन तथा अपरिमित क्षति प्रार्थी को संभाव्य नहीं है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर मनन करने के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दि० 12/5/16 को राजस्व लोक अदालत-2016 में सुनाया गया।

चिन्मयी गोपाल
I.A.S. प्रशिक्षु